

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार निम्न व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद स्थापन स्थान	व्याख्याता का विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I,II,III	वेतन वेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नीता भटनगर राउमावि किशनगढ़ अजमेर	जीव विज्ञान	10.05.64	01.07.88 व0अ0	डीपीसी 2015-16	30 वर्षीय	पी.एम.एल-14	पी.एम.एल 14	01.07.18
2	श्रीमती अमित राठ राधाकृष्ण मारु बा0 उमावि सीकर	जीव विज्ञान	01.01.68	18.11.97 व0अ0	डीपीसी 2016-17	20 वर्षीय	पी.एम.एल-13	पी.एम.एल 13	18.11.17
3	श्रीमती वैजयन्ती शर्मा राउमावि 5 एनएलडी, धरुसाना श्रीगंगानगर	रसायन विज्ञान	16.12.75	31.12.98 व0अ0	डीपीसी 2015-16	20 वर्षीय	पी.एम.एल-13	पी.एम.एल 13	31.12.18
4	विरन्द्र सिंह यादव राउमावि दंडवा छोटा डूर सपुर	जीव विज्ञान	29.10.58	05.07.85 व0अ0	RVRES	30 वर्षीय	15600-39100	6600	05.07.15

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रवेष्टि संबंधित की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 27/05/2019

क्रमांक:शिविरा-ना/संस्था/सी-4/रजीगृ/एसीपी/2019-20

प्रतिरिति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक).....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक.....
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक....
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. गार्ड फंजिका



1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर